डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1547/2026 दिनांक :04/06/2026

महत्वपूर्ण/अति–आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान सत्र 2026–27 हेतु बी.एड. काउन्सिलिंग प्रक्रिया शीघ्र ही बी.एड. काउन्सिलिंग आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जानी है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित ऐसे समस्त महाविद्यालय, जिन्हें स्थायी अथवा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है, से निम्नलिखित प्रपत्र अपेक्षित हैं:–

1. महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के सम्बद्धता पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
2. अनुमोदित शिक्षकों का दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 15 मई, 2026 तक के वेतन भुगतान का बैंक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र।
3. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन–2014 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र एवं ट्रस्ट/सोसाइटी का प्रमाणित पत्र।
5. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी Recognition Letter एवं Revised Recognition Letter की प्रति तथा उक्त पत्रों के एन.सी.टी.ई. की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने का प्रमाण।
6. Performance Appraisal Report (PAR) भरे जाने का प्रमाणित प्रमाण–पत्र।
7. एन0सी0टी0ई0 के नियमानुसार महाविद्यालय के नाम भूमि सम्बन्धी लीज–डीड/खतौनी की सत्यापित प्रति।
8. रु० 100/– पर सचिव/प्रबन्धक का शपथ–पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि **"महाविद्यालय द्वारा शासन, एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों, नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, विश्वविद्यालय के पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 01 से 07 तक उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाएँ एवं अभिलेख सत्य, पूर्ण एवं तथ्यात्मक रूप से सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं अथवा शपथ–पत्र में कोई असत्यता, त्रुटि अथवा तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है, तो उसके लिय महाविद्यालय प्रबन्धन स्वयं उत्तरदायी होगा।"**

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित समस्त वांछित प्रपत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 25.06.2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2026–27 की प्रवेश प्रक्रिया प्रतिबन्धित की जा सकती है, जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय प्रबन्धन स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रवेश समन्वयक, सत्र 2026–27।
3. एजेंसी को इस आशय से कि उक्त सूचना को समस्त बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett